

क्रमांक:- प.5(3)नवि/3/89

जयपुर दिनांक 2 NOV 2007

परिपत्र

विषय:- गा.वि.स. में बसी हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन हेतु
सम्मान्य पैरामीटर्स में शिथिलन वास्तव।

इस विभाग द्वारा उक्त समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.09.07 में दिये
निर्देशों के चेन्दु सं. 1(3) में निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

जन कॉलोनियों में 22.11.99 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो
चुका है उन्हें निर्माण का साक्ष्य बिजली एवं पानी के बिल अतिरिक्त निम्न अन्य
दस्तावेजात में इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे बशर्ते कि ऐसे दस्तावेजात में
संबंधित व्यक्तियों के निवास स्थान का पता उसी जगह का अंकित हो, जहां का
वह पट्टा बहता है। अतः ऐसे स्थिति में साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित
दस्तावेज मान्य होंगे :-

1. बिजली एवं पानी के बिल
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाईसेन्स
4. आज्ञा पत्र पहचान पत्र (पैनकार्ड)
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ डाकघर/ किसान पोस बुक
(दिनांक 22.11.99 या उससे पूर्व खोला गया था।)
6. सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
7. पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन, भूतपूर्व सैनिक, विधवा
/ पेंशन अदायगी आदेश / आश्रित प्रमाण-पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन
आदेश/ विधवा पेंशन आदेश
8. सार्वजनिक सैनिकी प्रमाण-पत्र

उक्त परिपत्र में अन्य शर्तें यथावत रहेगी। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समस्त शर्तें 70 से 75 प्रतिशत तक आवासीय क्षेत्रफल वाली योजनाओं के नियमन हेतु ब्यवकारी है। इससे कम अनुपात की अवस्था में विभागीय परिपत्र दिनांक 1.01.02 के अनुरूप ही नियमन की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

(परविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिनिधि:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थायित्व शासन विभाग, जयपुर।
6. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. अतिरिक्त पत्रायली।

शासन उप सचिव-प्रथम